(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाए जाएं ।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि:--

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है; और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो ।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी ।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है, अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं, के साथ बैठकर देखा जा सकता हो ।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा ।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी ।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि वे शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड का उल्लंघन नहीं करते हों ।

पाद टिप्पण :—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (11) तारीख 7-1-78 में का० आ० 9(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-1-78 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ(सी) (1) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (11) तारीख 17-2-79 में का० आ० 618 के रूप में प्रकाशित तारीख 27-1-79 की अधिसूचना संख्या 5/5/77 एफ(सी) ।

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (11) तारीख 7-5-83 में का० आ० 356(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-5-83 की अधिसूचना संख्या 805/2/82-एफ(सी) ।

(3) भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (11) तारीख 9-9-89 में का० आ० संख्या 2179 के रूप में प्रकाशित तारीख 11-8-89 की अधिसूचना संख्या 803/4/89-एफ-(सी) फा० संख्या 805/1/90-एफ(सी)

ह०/-

(एस० लक्ष्मीनारायणन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फोन : 383857

मध्य प्रदेश में डाक और तारघर

*416. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या संचार मंत्री 15 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2582 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में डाक और तारघरों की वर्तमान संख्या जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान इनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान जिलावार कितने नए डाकघर और उप-डाकघर खोले जाने की संभावना है तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैय्या नायडू) : (क) से (ग)

डाकघर

मध्य प्रदेश में 31-3-93 की स्थिति के अनुसार 11,174 डाकघर थे और प्रत्येक डाकघर औसतन 5,918 लोगों को सेवा प्रदान करता है । इसकी तुलना में अखिल भारतीय औसत 5,553 है ।

पिछले दो वर्षों के दौरान डाकघर के आवंटित संसाधनों के भीतर 1992-93 में 62 डाकघर और 1993-94 में 40 डाकघर खोले । वर्ष 1994-95 के दौरान देश में 800 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 150 विभागीय उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है । लक्ष्यों के राज्यवार आबंटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

तारघर

मध्य प्रदेश में 67 केन्द्रीय और विभागीय तारघर, तार सुविधाओं वाले 96 दूरसंचार केन्द्र और तार सुविधा के साथ 12,185 निम्न-स्तरीय कार्यालय हैं । मांग और आवश्यकता के आधार पर और तारघर खोले जाएंगे बशर्ते कि तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हों ।

Decline in the Stake of PFCs in I.F.C.I.

*417. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the stake of public financial institutions in the Industrial Finance Corporation of India Limited has gone down below 49 per cent, as a result of the I.F.C.I. public issue of December, 1993, though Government were committed to maintaining a 51 per cent holding in I.F.C.I.; and

(b) if so, what steps Government propose to take to retain control of I.F.C.I.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : fa) The shareholding of the Industrial Development Bank of India (IDBI), Nationalised Banks, LIC, GIC, Subsidiaries of GIC, State Bank of India (SBI) and Subsidiaries of SBI in the erstwhile Industrial Finance Corporation of India (IFCI) was about 86%, as on 30-6-1993, prior to the recent public issue. Even now these organisations have a holding slightly more than 51% in the IFCI Limited, the company constituted under the Companies Act, 1956.

(b) Does not arise.

New Loans from World Bank

*418. SHRI AHMED MOHMEDBHAI PATEL:
SHRI SURESH PACHOURI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the world Bank is conilder-ins five new loans for development of agriculture export business, multi-model transport and irrigation in the country;

(b) if so, what is the total amount of loans to be provided under the said proposals;

(c) what are the details of projects which will be undertaken under the loans;

(d) whether all the conditions imposed by World Bank in sanctioning these loans have been finalised; and

(e) by when these projects are likely to be set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (e) Yes, Sir. There are 9 projects in pipeline for development of agriculture, export business, multi-model transport and irrigation in the country-Details are as follows :—

SECTOR: AGRICULTURE

1. Assam Agricultural Development Project:—

   Loan amount: US $ 100 Million.

   Implementing Agency: Deptt. of Agriculture, Govt, of Assam.

   State : Assam

   Brief Status : The Bank's Pre-appral-sal Mission is expected in May, 1994.

2. Kamataka Agricultural Development Project:—

   Loan amount : US $ 100 Million (IDA credit).

   Implementing Agency : Deptt. of Agri-culture, Govt, of Kamataka.

   State : Karnataka

   Brief Status: Project preparation activities are underway. The pre-appraisal mission of World Bank has visited Karnataka in May, 1993 and appraisal of project is likely to take place later this year.

SECTOR : EXPORT BUSINESS

3. EXIM Bank (Single currency loan):—

   Loan amount- US $ 300 Million (IDA credit).